फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सिमरपाल सिंह **बनाम** रघुवीर सिंह आदि

अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 35 सन् 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/261

तामिल हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.04.2023	प्रार्थी सिमरपाल सिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति मेहरा निवासी 23 एच तहसील श्रीकरणपुर हाल आबाद वार्ड नम्बर 5 भारतीय स्टेट बैंक के नजदीक पदमपुर की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 02.05.2023 को पेश हो।	
12/4/23	आज यह पत्रावली प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर पेशी मे ली गई। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि उक्त अनवान प्रकरण मे मामला अति आवश्यक प्रवृति का है। इसलिए पत्रावली आज पेशी मे ली जाकर सुनवाई की जावे। प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मे बनना पाया जाता है। अतः इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी 02/05/2023 तक चक 22 एच की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 51/18 के मु.न. 03 व खाता संख्या 55/19 के मु.न. 48 मे अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल 0.728 हेक्टेयर भूमि की राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 CPC की पालना करे। यदि उक्त भूमि रहन है, तो बैंक में राशि जमा कराने या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने व राजस्थान कृषि साख परिपलन अधिनियम 1974 की कार्यवाही पर उक्त स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होगा। पत्रावली वास्ते तलबी पूर्व निर्धारित दिनांक 02/05/23 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर	